राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०) उ०प्र०
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010
दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक 417 /241/NULM/तीन/2001–Vol-II दिनांक 3/7/17

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,**
   जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
2. **समस्त परियोजना निदेशक/सिटी प्रोजेक्ट आफिसर,**
   जिला नगरीय विकास अभिकरण/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, उ0प्र0।

विषय–**दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के क्रियान्वयन हेतु शहरों के चयन के संबंध में।**

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या– 838/69–1–2017–14(104)/2013टीसी–1 दिनांक 21.06.2017 के द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में DAY-NULM का क्रियान्वयन पूर्व में चयनित शहरों के अतिरिक्त 48 शहरों में भी किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। अतिरिक्त शहरों के चयन का अनुमोदन जनसंख्या 2011 के आधार पर 50,000 से 1,00,000 जनसंख्या वाले शहरों हेतु किया गया है जिसका विवरण निम्नवत हैः–

S.No	Name of the District	Name of the City/Town	S.No	Name of the District	Name of the City/Town
1	Aligarh	Atrauli (NPP)	25	Hamirpur	Rath (NPP)
2	Ambedkar Nagar	Tanda (NPP)	26	Hapur	Pilkhuwa (NPP)
3	Amethi	Gauriganj (NNP)	27	Hardoi	Shahabad (NPP)
4	Amroha	Hasanpur (NPP)	28		Sandila (NPP)
5		Gajraula (NP)	29	Jalaun	Jalaun (NPP)
6	Azamgarh	Mubarakpur (NPP)	30		Konch (NPP)
7	Badaun	Sahaswan (NPP)	31		Kalpi (NPP)
8		Ujhani (NPP)	32	Jhansi	Mauranipur (NPP)
9	Bareilly	Faridpur (NPP)	33	Kannauj	Chhibramau (NPP)
10		Beheri (NPP)	34	Lakhimpur Kheri	Gola Gokarannath (NPP)
11		Awala (NPP)	35	Mathura	Kosi Kalan (NPP)
12	Bhadohi	Bhadohi (NPP)	36	Meerut	Mawana (NPP)
13	Bijnor	Nagina (NPP)	37		Sardhana (NPP)
14		Najibabad (NPP)	38	Muzaffarnagar	Khatauli (NPP)
15		Chandpur (NPP)	39		Budhana (NP)
16		Sherkot (NPP)	40	Pilibhit	Bilaspur (NPP)
17		Kiratpur (NPP)	41	Saharanpur	Deoband (NPP)
18		Seohara (NPP)	42		Gangoh (NPP)
19		Dhampur (NPP)	43	Shahjahanpur	Tilhar (NPP)
20	Bulandshahr	Sikandrabad (NPP)	44	Shamli	Kairana (NPP)
21		Jahangirabad (NPP)	45	Sitapur	Laharpur (NPP)
22		Gulathi (NPP)	46		Biswan (NPP)
23	Firozabad	Tundla (NPP)	47		Mahmudabad (NPP)
24	Ghaziabad	Muradnagar (NPP)	48	Unnao	Gangaghat (NPP)

उक्त शहरों के अतिरिक्त पूर्व में DAY-NULM के अन्तर्गत पूर्व में चयनित मथुरा नगर पालिका परिषद शहर में वृन्दावन नगर पालिका को सम्मिलित करते हुए, अब मथुरा नगर निगम DAY-NULM में सम्मिलित शहर है एवं DAY-NULM के अन्तर्गत पूर्व में चयनित फैजाबाद नगर पालिका परिषद में अयोध्या नगर पालिका परिषद को सम्मिलित करते हुए, अब अयोध्या नगर निगम DAY-NULM में सम्मिलित शहर है। पूर्व में DAY-NULM का क्रियान्वयन केवल मथुरा एवं फैजाबाद में किया जा रहा है जोकि इस वर्तमान वित्तीय वर्ष से नगर निगम होने के दृष्टिगत विस्तारित सम्मिलित क्षेत्र अयोध्या एवं वृन्दावन में भी किया जायेगा।

उक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि DAY-NULM की गाइडलाइन के अनुसार राज्य कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित एवं शासन द्वारा स्वीकृत उल्लिखित अतिरिक्त शहरों में मिशन के सफल संचालन हेतु शहरों में कार्यकारी समिति का गठन, तकनीकी एडवाईजरी ग्रुप का गठन, सी0एम0एम0यू0 के गठन एवं एस0ई0पी0(SEP) अन्तर्गत टास्क फोर्स का गठन हेतु कार्यवाही शासनादेश/सूडा द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में तत्काल किया जाना है। कार्यकारी समिति गठन हेतु शासनादेश–779/69–1–14–14(104)/2013 दिनांक 23.05.2014, तकनीकी एडवाईजरी ग्रुप के गठन हेतु शासनादेश–832/69–1–14–14(104)/2013 दिनांक 23.05.2014, सी0एम0एम0यू0 गठन हेतु शासनादेश–979/69–1–13–14(104)/2013 दिनांक 27.06.2014 एवं एस0ई0पी0(SEP) अन्तर्गत टास्क फोर्स का गठन हेतु सूडा के पत्रांक संख्या– 2052/241/NULM/तीन/2001(SEP) दिनांक 13.08.2015 के अनुक्रम में कार्यवाही तत्काल की जानी है (छायाप्रति संलग्न)।

उक्त अतिरिक्त शहरों में DAY-NULM के संचालन हेतु इन शहरों में शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के स्थापित होने तक जिला/शहर स्तर पर पूर्व से गठित एवं कार्यरत सी0एम0एम0यू0 के माध्यम से कराया जायेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित शहरों में DAY-NULM के क्रियान्वयन हेतु तेजी से कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए उल्लिखित शासनादेश के अनुपालन में शहर स्तरीय कार्यकारी समिति, तकनीकी एडवाईजरी ग्रुप का गठन, सी0एम0एम0यू0 का गठन, एस0ई0पी0(SEP) अन्तर्गत टास्क फोर्स का गठन एवं अन्य प्रारम्भिक कार्यवाही पूर्ण कराते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें ताकि तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय

संलग्नकः यथोपरि।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (यूपीए डिवीजन) भारत सरकार, निर्माण भवन नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा को अनुपालनार्थ।
4. समस्त शहर मिशन प्रबन्धक, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, उ0प्र0।
5. सहायक वेबमास्टर, सूडा उ0प्र0 को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

642

3059/C/S
23/5/14

257

उ0प्र0 शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।
संख्या–779 /69–1–14–14(104)/2013
लखनऊ : दिनांक : 23 मई, 2014

कार्यालय–ज्ञाप

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शहरी गरीबों हेतु वर्तमान में संचालित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (नेशनल अरबन लिवलीहुड मिशन) सितम्बर, 2013 से आरम्भ की गयी है। 12 वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालय वाले शहरों एवं 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों – लोनी, मोदीनगर, चंदौसी, खुर्जा, मुगलसराय, शिकोहाबाद और बड़ौत में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) लागू किया गया है। यह योजना शहरी गरीबों की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के व्यापक एवं एकीकृत रूप से समाधान किए जाने के उद्देश्य से आरम्भ की गयी है। नेशनल अरबन लिवलीहुड मिशन के मिशन डाक्यूमेंट के प्रस्तर–13.8 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार इस योजना के संचालन हेतु स्टेट मिशन मैनेजमेंट यूनिट (एसएमएमयू) के अन्तर्गत गवर्निंग कौंसिल एवं प्रस्तर–13.9 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार कार्यकारी समिति का गठन शासनादेश सं0–1926/69–1–13–14 (104)/2013, दिनांक 28.02.2013 द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के मिशन डाक्यूमेंट के प्रस्तर–13.16 में शहर स्तर पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के संचालन हेतु कार्यकारी समितियों के गठन का प्राविधान किया गया है। शहर स्तर पर गठित यह कार्यकारी समितियां शहरी बेधरों के लिये आश्रय योजना (एस0यू0एच0) के अन्तर्गत सृजित होने वाली सुविधाओं के नियोजन, कियान्वयन एवं प्रबन्धन के लिये उत्तरदायी होंगी।

उक्त समितियों का निम्नवत गठन किया जाता है :–

(I) नगर निगम वाले चयनित शहरों हेतु कार्यकारी समिति (एक्जीक्यूटिव कमेटी)–

क्रमांक	पदनाम	सदस्यता
1	नगर आयुक्त	अध्यक्ष
2	परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण	उपाध्यक्ष
3	प्रभारी अधिकारी, एन0आर0एल0एम0	सदस्य
4	महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
5	जिला सेवायोजन अधिकारी	सदस्य
6	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
7	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
8	लोक निर्माण विभाग का अधिशाषी अभियन्ता से अनिम्न जनपदीय अधिकारी	सदस्य

JD/PD

23/5/14

संयुक्त निदेशक
26.5.14

A.P.O

9	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
10	जिला आपूर्ति अधिकारी	सदस्य
11–12	सम्बन्धित बैंक के दो प्रतिनिधि	सदस्य
13–14	सम्बन्धित स्वंय सहायता समूह/फेडरेशन्स (संघ) के दो प्रतिनिधि	सदस्य
15	परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण	सदस्य संयोजक
16	अध्यक्ष द्वारा को–आप्टेड अन्य सदस्य (अपर/उप/ सहायक नगर आयुक्त व अन्य जिसे वे आवश्यक समझें)	सदस्य

(II) नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतो वाले चयनित शहरों में कार्यकारी समिति (एक्जीक्यूटिव कमेटी)–

क्रमांक	पदनाम	सदस्यता
1	जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण	अध्यक्ष
2	परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण	उपाध्यक्ष
3	प्रभारी अधिकारी, एन0आर0एल0एम0	सदस्य
4	महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
5	जिला सेवायोजन अधिकारी	सदस्य
6	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
7	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
8	लोक निर्माण विभाग का अधिशाषी अभियन्ता से अनिम्न जनपदीय अधिकारी	सदस्य
9	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
10	जिला आपूर्ति अधिकारी	सदस्य
11	सम्बन्धित शहर (नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) के अधिशासी अधिकारी	सदस्य
12–13	सम्बन्धित बैंक के दो प्रतिनिधि	सदस्य
14–15	सम्बन्धित स्वंय सहायता समूह/फेडरेशन्स (संघ) के दो प्रतिनिधि	सदस्य
16	परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण	सदस्य संयोजक
17	अध्यक्ष द्वारा को–आप्टेड अन्य सदस्य (प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय व अन्य जिसे वे आवश्यक समझें)	सदस्य

2. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रभावी संचालन के उद्देश्य से जिला स्तर पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), की अध्यक्षता में जिला नगरीय विकास अभिकरण को नोडल एजेन्सी नामित किया जाता है, जो राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 लखनऊ/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अधीन कार्य करेगा।

3. उपर्युक्त योजनान्तर्गत सिटी मिशन मैनेजमेन्ट यूनिट (सीएमएमयू) के संचालन हेतु सिटी प्रोजेक्ट आफिसर नामित किये जायेगे। नगर निगम वाले शहरों में उप नगर अधिकारी अथवा उनके समकक्ष अधिकारी को सिटी प्रोजेक्ट आफिसर (सीपीओ) नामित किया जायेगा तथा उनकी सहायता हेतु जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के 02 सहायक परियोजना अधिकारियों को नामित किया जायेगा। नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत वाले शहरों के अधिशासी अधिकारी (ईओ) अथवा उनके समकक्ष अधिकारी को सिटी प्रोजेक्ट आफिसर

(सीपीओ) नामित किया जायेगा तथा उनकी सहायता हेतु जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के परियोजना अधिकारी को नामित किया जायेगा। सिटी मिशन मैनेजमेन्ट यूनिट(सीएमएमयू) के अन्तर्गत सिटी प्रोजेक्ट आफिसर के नेतृत्व में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (नेशनल अरबन लिवलीहुड मिशन) के कार्यो के संचालन में सहायता हेतु विशेषज्ञों की एक टीम का गठन किया जाएेगा। उपरोक्त कार्यकारी समिति (एक्जीक्यूटिव कमेटी)की बैठके शीघ्रातिशीघ्र आयोजित कर समयबद्ध रूप से मिशन के कार्यक्रम लागू किए जायेगें।

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या– 779 (1)69–1–14–14(104)/214 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0
2. विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोंजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
14. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
15. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
16. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक–4202/241/एसजेएसआरवाई–एनयूएलएम/तीन/2001,दिनांक 24.03.2014 के सन्दर्भ में।
17. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
18. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
19. समस्त नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
20. समस्त महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उ0प्र0।
21. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
22. समस्त जिला आपूर्ति अधिकारी, उ0प्र0 ।
23. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
24. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
22/5/14
(एच0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

3062/C/5
23/5/14

उ0प्र0 शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।
संख्या-832-/69-1-14-14(104)/2013
लखनऊ : दिनांक : 23 मई, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शहरी गरीबों हेतु वर्तमान में संचालित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (नेशनल अरबन लिवलीहुड मिशन) सितम्बर, 2013 से आरम्भ की गयी है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के डाक्यूमेन्ट के प्रस्तर 13.2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समूह एवं शहर स्तर पर एक तकनीकी सलाहकार समूह (तकनीकी एडवाईजरी ग्रुप) का गठन निम्नवत किया जाता है :-

1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समूह (टी0ए0जी0)-

क्रमांक	पदनाम	सदस्यता
1	प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग	अध्यक्ष
2	निदेशक, स्थानीय निकाय	सदस्य
3	विशेषज्ञ-कौशल/आजीविका	सदस्य
4	विशेषज्ञ-सामाजिक गतिशीलता	सदस्य
5	विशेषज्ञ-वित्तीय समावेश	सदस्य
6	विशेषज्ञ-क्षमता संवर्धन	सदस्य
7-8	उद्योग संघो के दो प्रतिनिधि	सदस्य
9-10	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा मनोनीत दो सदस्य	सदस्य
11	राज्य मिशन निदेशक, एन0यू0एल0एम0	सदस्य संयोजक

2 (i) नगर निगम के अन्तर्गत चयनित शहरों हेतु शहर स्तरीय तकनीकी सलाहकार समूह (टी0ए0जी0) -

क्रमांक	पदनाम	सदस्यता
1	नगर आयुक्त	अध्यक्ष
2	परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण	सदस्य
3	प्रभारी-जिला कौशल विकास मिशन	सदस्य
4	जिला सेवा नियोजन अधिकारी	सदस्य
5	महाप्रबंधक-जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
6-7	सम्बन्धित बैंक के दो प्रतिनिधि	सदस्य
8	परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण	सदस्य संयोजक

JD/PD

23/5/14

2 (ii) नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के अन्तर्गत चयनित शहरों हेतु शहर स्तरीय तकनीकी सलाहकार समूह (टी0ए0जी0) -

क्रमांक	पदनाम	सदस्यता
1	जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण	अध्यक्ष
2	परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण	सदस्य
3	प्रभारी-जिला कौशल विकास मिशन	सदस्य

संयुक्त निदेशक

4	जिला सेवा नियोजन अधिकारी	सदस्य
5	महाप्रबंधक–जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
6–7	सम्बन्धित बैंक के दो प्रतिनिधि	सदस्य
8	नगर पालिका परिषद /नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी,	सदस्य
9	परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण	सदस्य संयोजक

राज्य/शहर स्तर पर गठित तकनीकी सलाहकार समूह (टी.ए.जी.) द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सफल कियान्वयन हेतु राज्य शहरी आजीविका मिशन/शहर आजीविका प्रबन्धन इकाई को तकनीकी सलाह प्रदान की जायेंगी।

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या– 832 (1)69–1–14–14(104)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0
2. विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
14. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
15. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
16. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक–4202/241/एसजेएसआरवाई–एनयूएलएम/तीन/2001,दिनांक 24.03.2014 के सन्दर्भ में।
17. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
18. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
19. समस्त नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
20. समस्त महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उ0प्र0।
21. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
22. समस्त जिला आपूर्ति अधिकारी, उ0प्र0 ।
23. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
24. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
22/5/14
(एच0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

उ0प्र0 शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।
संख्या–979/69–1–13–14(104)/2013
लखनऊः दिनांक 27 – 6 – 2014

3244/cls
27/6/14

कार्यालय–ज्ञाप

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के मिशन डाक्यूमेण्ट में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु शहर स्तर पर शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (सी0एम0एम0यू0) के गठन का प्राविधान किया गया है। शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा मिशन के क्रियाकलापों का क्रियान्वयन स्थानीय नगर निकायों के माध्यम से किया जायेगा।

2. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (सी.एम.एम.यू.) के अन्तर्गत एक सिटी प्रोजेक्ट आफीसर की नियुक्ति की जायेगी। नगर निगम वाले शहरों में उप नगर अधिकारी अथवा उनके समकक्ष अधिकारी तथा नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत वाले शहरों में अधिशासी अधिकारी व उनके समकक्ष अधिकारी को सिटी प्रोजेक्ट आफीसर नामित किया जायेगा। नगर निगम वाले शहरों के सिटी प्रोजेक्ट आफीसर की सहायता हेतु डूडा के कम से कम 02 सहायक परियोजना अधिकारियो की तथा नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत वाले शहरों में सिटी प्रोजेक्ट आफीसर की सहायता हेतु डूडा के परियोजना अधिकारी को नामित किया जायेगा। शहर मिशन प्रबंधन इकाई (सी0एम0एम0यू0) के अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति की जायेगी जो क्रमशः सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास (Social Mobilization & Institution Development), कौशल और आजीविका (Skill & Livelihood), वित्तीय समावेश और लघु उद्यम (Financial Inclusion & Micro Enterprises), एम0आई0एस0 एण्ड एम0ई0 (Management of Information System and Monitoring & Evaulvation) आदि क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे। 05 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रति शहर 04 तकनीकी विशेषज्ञ, 03 से 05 लाख आबादी वाले शहरों में प्रति शहर 03 विशेषज्ञ तथा 03 लाख से कम आबादी वाले शहरों में प्रति शहर 02 विशेषज्ञ रखे जायेगे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अथवा स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा वित्त एवं लेखा, अवस्थापना कार्य व अन्य सहायक सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी शहरी मिशन प्रबन्धन इकाई में नियुक्त किए जाएँगें।

3. शहरों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) योजना के घटकों के कियान्वयन हेतु सामुदायिक आयोजक (सी0ओ0) नियुक्त किये जायेगें। प्रत्येक सामुदायिक आयोजक (सी0ओ0) द्वारा कम से कम 3000 शहरी गरीब परिवारों को आच्छादित कर कार्य किया जायेगा। सामुदायिक आयोजक (सी0ओ0) शहर विशेष की आवश्यकता के अनुसार धनराशि की उपलब्धता के अनुरूप रखे जायेगें। एन0यू0एल0एम0 हेतु चयनित शहरों में प्रत्येक में कम से कम 01 सी0ओ0 की नियुक्ति आवश्यक होगी। सी0ओ0 अपने क्षेत्र में शहरी गरीबों हेतु सामाजिक गतिशीलता का कार्य करेगें और एन0यू0एल0एम0 के अंतर्गत लाभ दिलाने में सहायता करेगें इसके साथ ही समुदाय को समूह/संघ के गठन में सुविधा प्रदायक का कार्य करेगें।

4. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (सी0एम0एम0यू0) के अंतर्गत रखे जाने वाले तकनीकी विशेषज्ञों एवं सामुदायिक आयोजकों की शैक्षिक योग्यता, कार्य, जिम्मेदारी, भर्ती प्रक्रिया, परिश्रामिक इत्यादि का निर्धारण भारत सरकार द्वारा एन0यू0एल0एम0 के उपघटक क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण (Capacity Building & Training) (सी0बी0 एण्ड टी0) के प्रचलात्मक दिशनिर्देश (Operational Guideline) में स्पष्ट रूप से किया गया है।

5. यदि शहरी मिशन प्रबन्धन इकाई के पद किसी भी कारणवश नही भरे जाते है अथवा नियुक्ति में विलम्ब होता है तो राज्य सरकार द्वारा इन पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर निम्न शर्तो को पूर्ण करने वाले सरकारी अधिकारियो/कर्मचारियो से भरा जा सकता है:–

JD/PD/DR Kanpur
संयुक्त निदेशक 27.6.14

क– प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी अनिवार्य रूप से पद विशेष हेतु निर्धारित आवश्यक पात्रता/योग्यता रखता हो।

ख– प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक होगी अर्थात उपयुक्त उम्मीदवारों की नियुक्ति होने तक यह प्रतिनियुक्ति बनी रहेगी।

ग– वेतन और भत्तों का भुगतान एन0यू0एल0एम0 के अन्तर्गत निर्धारित मानक की सीमा तक ही होगा। वेतन, भत्तों के मद में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान होता है तो यह व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

6. शहर मिशन प्रबंधन इकाई (सी0एम0एम0यू0) के अंतर्गत नियुक्त किये जाने वाले तकनीकी विशेषज्ञों और सामुदायिक आयोजक (सी0ओ0) के परिश्रामिक और प्रशिक्षण आदि का होने वाला व्यय क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण (Capacity Building and Training) (सी0बी0 एण्ड टी0) उपघटक के मद में निर्धारित धनराशि से ही किया जायेगा। सी0 बी0 एण्ड टी0 उपघटक के मद में केन्द्राश 75 प्रतिशत एवं राज्यांश 25 प्रतिशत के अनुपात में धनराशि प्राप्त होगी। प्रदेश सरकार द्वारा एन0यू0एल0एम0 के लिए कुल आवंटन का 12 प्रतिशत तक की धनराशि सी0बी0 एण्ड टी0 उपघटक हेतु व्यय की जायेगी। यह निधि पांच वर्ष की अवधि के लिये होगी। उक्त अवधि के पश्चात् इस मद में होने वाला व्यय राज्य सरकार को अपने वित्तीय स्रोतो से करना होगा।

7. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार मिशन निदेशक द्वारा शहर मिशन प्रबंधन इकाई (सी0एम0एम0यू0) का तत्काल गठन करते हुये एन0यू0एल0एम0 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जायेगी।

28/6/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

सं–979 (1)69–1–13–14(104)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
2 निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यकम विभाग, उ0प्र0।
3 निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री, उ0प्र0।
4 निजी सचिव, मा0 श्रम व रोजगार मंत्री, उ0प्र0।
5 निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री, उ0प्र0।
6 निजी सचिव, मा0 उद्योग मंत्री, उ0प्र0।
7 निजी सचिव, तकनीकी शिक्षा मंत्री, उ0प्र0।
8 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
9 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।
10 सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
11 प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
12 प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन।
13 प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
14 प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
15 प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0शासन।
16 प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
17 प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
18 प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0शासन।

19 प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
20 प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0शासन।
21 निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
22 मिशन निदेशक, राज्य शहरी आजीविका मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
23 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

☎–2286711
2286709
राज्य नगरीय विकास अभिकरण
नव चेतना केन्द्र,10 अशोक मार्ग,लखनऊ–226001
website-www.upsuda.org

पत्रांकः 2052 / 241 / NULM / तीन / 2001(SEP) दिनांक 13/8/15

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी,**
   जिला नगरीय विकास अभिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त नगर आयुक्त / परियोजना निदेशक**
   नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

3. **समस्त परियोजना निदेशक / सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर,**
   (नगर निगम वाले शहर को छोड़कर)
   जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।

विषयः– **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक स्व रोजगार कार्यक्रम (एस0ई0पी0) के अन्तर्गत गठित टास्क फोर्स में संशोधन के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक स्व रोजगार कार्यक्रम (एस0ई0पी0) के अन्तर्गत शहरी गरीबों को व्यक्तिगत और समूह में बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने हेतु लाभार्थियों के चयन हेतु शहर / नगर निकाय स्तर पर टास्क फोर्स के गठन हेतु सूडा के पत्रांक–567 / 241 / NULM / तीन / 2001(SEP), दिनांक 05.06.2014 द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–688 / 2015 / 1652 / 69–1–2015–14(104) / 2013, दिनांक 23 जुलाई, 2015 के द्वारा सभी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शहरों में सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर के पद पर परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, (डूडा) उ0प्र0 को नामित किया गया है।

उक्त शासन के कार्यालय ज्ञाप के परिप्रेक्ष्य में स्व रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित टास्क फोर्स में संशोधन किया जा रहा है जोकि निम्नवत हैः–

क0 सं0	पदनाम	सदस्यता
1	परियोजना निदेशक, डूडा / सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर (सी0पी0ओ0)	अध्यक्ष
2	लीड जिला प्रबंधक (एल0डी0एम0)	सदस्य
3	महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र (डी0आई0सी0)	सदस्य
4	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत	सदस्य
5	परियोजना अधिकारी / सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा	सदस्य संयोजक

6	वरिष्ठ बैंक प्रबंधक (अधिकतम–2)	सदस्य
7	प्रतिनिधि–एरिया लेवल फेडरेशन/सिटी लेवल फडरेशन (अधिकतम–2)	सदस्य

अतिशीघ्र टास्क फोर्स को संशोधन करते हुए लाभार्थियों के चयन की कार्यवाही प्रारम्भ करें।

सूडा के पत्रांक–567/241/NULM/तीन/2001(SEP), दिनांक 05.06.2014 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष प्रावधान यथावत रहेंगें।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
3. समस्त परियोजना आधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
4. वेब मास्टर, सूडा, को ई–मेल से प्रेषण एवं सूडा की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग–7

संख्या–1799 / नौ–7–17–8(सीमाविस्तार) / 2016

लखनऊ : दिनांक : 12 मई, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम–1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन् 1959) की धारा–3 की उप धारा–(1) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद–243 'थ' के खण्ड (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, प्लवमान जनसंख्या सहित क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या धनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिये जनित राजस्व, कृषियेत्तर क्रिया–कलापों में नियोजन का प्रतिशत एवं आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए नीचे अनुसूची में उल्लिखित नगर पालिका परिषद, मथुरा एवं नगर पालिका परिषद, वृन्दावन के लघुत्तर नगरीय क्षेत्रों को भारत का संविधान के भाग–9 'क' के प्रयोजन के लिये वृहत्तर नगरीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट करते हैं। उक्त वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए एक नगर निगम का गठन किया जाएगा जिसे नगर निगम मथुरा–वृन्दावन के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची

भाग–1

नगर पालिका परिषद मथुरा में आने वाले राजस्व ग्रामों / भू–खण्डों के भू–अभिलेखों का विवरण जिन्हें मथुरा–वृन्दावन नगर निगम, मथुरा में सम्मिलित किया जाना है।

vrandavan mathura gathan

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–7
संख्या–1820(1)/नौ–7–17–22(ज0)/2017
लखनऊ : दिनांक : 11 मई, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल प्लवमान जनसंख्या सहित क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिये जनित राजस्व, कृषियेत्तर क्रिया–कलापों में नियोजन का प्रतिशत एवं आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए नीचे अनुसूची में उल्लिखित नगर पालिका परिषद फैजाबाद एवं नगर पालिका परिषद अयोध्या के लघुत्तर नगरीय क्षेत्रों को भारत का संविधान के अध्याय नौ–क के प्रयोजनों के लिये वृहत्तर नगरीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट करते हैं। उक्त वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिये एक नगर निगम का गठन किया जायेगा। जिसे नगर निगम अयोध्या के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची
भाग–1

नगर पालिका परिषद फैजाबाद जिला–फैजाबाद के प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा –

1. **मोहल्ला तारापुर रजौली बन्दोबस्त हाल 1936–37 के अनुसार गाटा संख्याएं –**
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28

2. **मोहल्ला गौरा पटटी बन्दोबस्त हाल 1936–37 के अनुसार गाटा संख्याएं–**
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263.